संख्या: THDCIL/RKSH/CHR/Policy/101/301 दिनांक : 14.08.2025

कॉर्पोरेट एचआर परिपत्र संख्या: 14/2025

विषय: सेवानिवृत्त कर्मचारियों/आश्रितों (योगदान आधारित सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना के सदस्य) के लिए, जो विदेश में या ऐसे स्थानों पर निवास कर रहे हैं जहाँ कोई मान्यता प्राप्त अस्पताल उपलब्ध नहीं है, टेली-मेडिकल परामर्श सुविधा का विस्तार।
और
उन नियमित कर्मचारियों/आश्रितों के लिए, जो दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात हैं, जहाँ न तो कोई मान्यता प्राप्त अस्पताल उपलब्ध है और न ही THDCIL के अस्पताल/डॉक्टर उपलब्ध हैं।

कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखने तथा उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण में वृद्धि करने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत एक उपयोगकर्ता-अनुकूल टेली-मेडिकल परामर्श सुविधा प्रारम्भ की गई है। यह सुविधा सामान्य बीमारियों के लिए प्राथमिक स्तर की चिकित्सकीय सलाह एवं प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करने, दीर्घकालिक बीमारियों (क्रोनिक कंडीशन) पर चर्चा करने, दवाइयों के पुनः प्रिस्क्रिप्शन (रिफिल) प्राप्त करने तथा प्रारंभिक निदान या दूसरी चिकित्सकीय राय लेने में सहायता प्रदान करेगी। यह परामर्श THDCIL के डॉक्टरों या मान्यता प्राप्त अस्पतालों के पंजीकृत चिकित्सा विशेषज्ञों से प्राप्त किया जा सकेगा।

यह सेवा मुख्य रूप से गैर-आपातकालीन सामान्य परामर्श के लिए है, जहाँ चल रही दवाइयों के लिए पुराने प्रिस्क्रिप्शन या चिकित्सा रिपोर्ट दिखाकर/साझा करके या नई चिकित्सा पर्ची जारी करके परामर्श लिया जा सकता है। टेली-मेडिकल परामर्श THDCIL के डॉक्टरों अथवा मान्यता प्राप्त अस्पतालों के डॉक्टरों से प्राप्त किया जा सकता है।

यह पहल भौगोलिक दूरी को कम करने तथा योगदान आधारित सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना (CPRMBS) के सभी पात्र सदस्यों के साथ-साथ उन नियमित कर्मचारियों को, जो गैर-पारिवारिक दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात हैं और जहाँ मान्यता प्राप्त अस्पताल या THDCIL के डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं, समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

विदेश में निवास कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामलों में, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए दवाइयाँ अनिवार्य रूप से भारत से ही खरीदनी होंगी तथा चिकित्सा बिल भारतीय दुकान/संस्थान से ही होना अनिवार्य होगा।

इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पृथक रूप से जारी की जाएगी।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

(अशुतोष कुमार आनंद)
उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)